न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 15/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2017/ 00024)

1. मोहनलाल
2. हंसराज
3. विजय कुमार

पिसरान– ठन्डूराम जाति धानक निवासी पीलीबंगा।

4. विमला पुत्री ठन्डूराम जाति धानक साकिन पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. कविता देवी पुत्री ठन्डूराम जाति धानक साकिन पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. गुडडी देवी पुत्री ठन्डूराम जाति धानक साकिन पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
7. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश पुत्र ठन्डूराम जाति धानक साकिन पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. गणेशराज पुत्र श्री रामस्वरूप जाति धानक वार्ड नं. 10 पीलीबगा।
2. कृष्णा पुत्री सरवनी पत्नी जगदीश जाति धानक साकिन मैजत तहसील हॉसी जिला हिसार, हरियाणा।
3. राजपाल
4. लेखराम

पिसरान रामस्वरूप धानक साकिन वार्ड नम्बर 14 पीलीबंगा।

5. शंकुन्तला पुत्री रामस्वरूप पत्नी भादरराम जाति धानक साकिन मेहर मित्तल के मकान के आगे साकिन भटिण्डा, पंजाब। (अपील से नाम हटाया गया आदेश दिनांक 08.07.2024)
6. सोमनाथ
7. डूगरराम

पि. रामस्वरूप धानक निवासी वार्ड नम्बर 14 पीलीबंगा।

8. बीना पुत्री ओमप्रकाश जाति धानक साकिन जेतो मंडी, भटिण्डा, पंजाब। (अपील से नाम हटाया गया आदेश दिनांक 08.07.2024)
9. विमला पत्नी ओम प्रकाश जाति धानक साकिन शायर जिला हिसार। (अपील से नाम हटाया गया आदेश दिनांक 08.07.2024)
10. सुन्दरजी पत्नी राजेन्द्र जाति धानक साकिन बभाना तहसील हांसी हिसार। (अपील से नाम हटाया गया आदेश दिनांक 08.07.2024)
11. बीरमती पत्नी प्रताप जाति धानक साकिन शीयर जिला हिसार। (अपील से नाम हटाया गया आदेश दिनांक 08.07.2024)
12. गुडडी पत्नी मांगीलाल जाति धानक साकिन श्यालेकी ढाणी तहसील सिरसा हरियाणा। (अपील से नाम हटाया गया आदेश दिनांक 08.07.2024)
13. राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः	1. श्री विजय कुमार पारीक	– अभिभाषक अपीलान्ट्स
उपस्थितः	2. श्री संतनाथ योगी	–अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
अनुपस्थितः	3. श्री सोमदत्त पुरोहित	–अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 3, 4, 6, 7

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय दिनांकः 25.02.2025

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (भू.अ.) पीलीबंगा के क्रमांक/भू.अ./10/446 आदेश दिनांक 04.06.10 के विरूद्ध पेश हुई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार (भू.अ.) पीलीबंगा के क्रमांक/भू.अ./10/446 आदेश दिनांक 04.06.10 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 04.06.10 को निरस्त फरमाया जाने का अनुतोष चाहा गया है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट 2 के निमित नोटिस जारी किये जाने के बावजूद उपस्थित नही हुवे। इनके विरूद्ध एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4, 6, 7 के अभिभाषक बहस के दौरान अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट संख्या 5, 8, 9, 10, 11, 12 का नाम अपील से आदेश दिनांक 08.07.2024 को हटाया गया।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि उक्त भूमि वाके चक 14 पी बी एन का मुरब्बा नं. 38/303, 27/303, 28/304, 28/355 में कुल 9.614 है. भूमि स्थित है। उक्त भूमि ठन्डूराम के नाम दर्ज है । समस्त राजस्व रेकार्ड मे ठन्डूराम के नाम से उक्त भूमि दर्ज रही है। उक्त भूमि की वसीयत नही हो सकती है ना ही बैचवान हो सकता है। उक्त भूमि में ठन्डूराम के अलावा उसके वारिसान का ही तमाम भूमि मे हकनिहित है। अविभाजित भूमि की वसीयत शून्य है, वसीयत करने का अधिकार ही नही था। अधीनस्थ न्यायालय ने नियम विरूद्ध कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना सार्वजनिक सूचना जारी किये बिना समाचार पत्र में साया करवाये बिना नोटिस दिये इकतरफा तौर पर नामान्तरकरण दर्ज करने का वसीयत के आधार पर आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 04.06.2010 निरस्त किया जावे तथा प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड कर सभी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पक्षो को सुनकर पुनः निर्णय पारित करने का निर्देश प्रदान करे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 2016 पेज 28, RRD 2006 पेज 190, RRD 2002 पेज 671, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि तहसीलदार पीलीबंगा का आदेश दिनांक 4.6.2010 प्रोपर है। उक्त आदेश मे किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अपीलाधीन आदेश की अपील, अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नही है। अपीलाधीन आदेश की अपील उपखण्ड अधिकारी न्यायालय को है। क्योकि तहसीलदार द्वारा आदेश जो पारित किया गया है, उक्त आदेश पक्षकारो में Contest नही है। अपीलान्ट द्वारा अपील गलत प्रस्तुत की गई है। अपीलन्ट की अपील मेन्टेनेबल नही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत अपील तहसीलदार पीलीबंगा के आदेश दिनांक 04.06.2010 के विरूद्व न्यायालय में दिनांक 02.11.2010 को प्रस्तुत की गई है, जिसके साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय में गैर हाजरी में बिना नोटिस दिये, बिना सुनवाई अवसर दिये आदेश पारित किया गया है, इसलिए प्रार्थीगण को उक्त आदेश की जानकारी उसे रिश्तेदारी में दिनांक 05.10.2010 को हुई। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) पीलीबंगा के क्रमांक/भू.अ./10/446 आदेश दिनांक 04.06.10 से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.06.10 को निरस्त करने का निवदेन किया किया गया है। प्रकरण में मुख्य विवाद वसीयत अनुसार इन्तकाल दर्ज करने बाबत है। अधीनस्थ न्यायालय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

द्वारा सभी पक्षकारो को सुना जाना आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारो को बिना सुने आदेश पारित किया गया है। भूमि के पुश्तेनी/स्वअर्जित होने का विवेचन भी नही किया गया है। पुश्तेनी भूमि पर सभी जायज वारिसान के हक–हकूक सृजित होते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) पीलीबंगा के आदेश क्रमांक/भू.अ./10/446 दिनांक 04.06.10 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) पीलीबंगा को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनकर, पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिंह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर